AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

मनेरगा योजना का ग्रामीण विकास पर प्रभावः बिहार के सन्दर्भ में

ORIGINAL ARTICLE

Authors
संजीव कुमार
शोधार्थी
अर्थशास्त्र विभाग
पटना विश्वविद्यालय
पटना, बिहार, भारत

डॉ. सुपन प्रसाद सिंह
सह प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
वाणिज्य महाविद्यालय
पटना विश्वविद्यालय
पटना, बिहार, भारत

शोध सार

भारत गाँवों का देश है इसलिए भारत की वास्तविक उन्नति का रास्ता गाँवों से होकर गुजरती है। भारत के गाँवों में अभी भी बुनियादी सुविधाएँ एवं आधारभूत संरचनाओं की कमी महसूस की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के उपरांत बेरोजगारी जैसी समस्या विद्यमान है। इसके कारण श्रमिक पलायन कर रहे है या गाँवों में ही बेरोजगार रहना पड़ता है। इन समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए स्वंतत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा अनेक योजनाओं एवं संस्थानों की स्थापना की हैं, इनमें से सुक्ष्म वित्त संस्थाएँ जैसे–नाबार्ड, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि और मनरेगा है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रमीण अकुशल श्रमिकों को रोजगार देना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, टिकाऊ परिसम्पलियों का निर्माण करना, प्रतिव्यक्ति आय एवं बाजार माँग मे वृद्धि करना, पलायन को रोकना, वित्तीय अर्न्तवेशन को बढ़ाना, आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना इत्यादि। वर्त्तमान में रोजगार उपलब्धता के साथ–साथ ग्रामीण विकास पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। सूक्ष्म वित्त एक ऐसी ऋण प्रणाली है जिसके तहत् ग्रामीण समाज के वंचित कमजोर वर्ग, अल्प सेवा प्राप्त लोग, बेरोजगार श्रमिक, छोटे कारोबारी इकाईयाँ, सीमांत व लघुकिसान सूक्ष्म–कुटीर–लघु उद्योग, सामान्य कृषक, खेतीहर मजदूर, स्वरोजगारी व्यक्ति और स्वयं सहायता समूह (SHG) इत्यादि वर्गों को सूक्ष्म वित्त की सेवाएँ प्रदान की जाती है। संगठित सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के द्वारा इसके लिए नाबार्ड (1982), सरकारी बैंक (1978), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1975) एवं अन्य सूक्ष्मवित्त संस्थानों की स्थापना की गई। इसका ग्रामीण विकास एवं लोगों के स्वरोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में मनरेगा एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसके आने से ग्रामीणों की निर्भरता साहुकारों, महाजनों, रिश्तेदारों पर कम हुआ है। मनरेगा से लोगों को रोजगार मिला है, जिससे जीवनयापन में सुधार हुआ है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण प्राप्ति पर ब्याज दर असंगठित क्षेत्रों की तुलना में कम देना पड़ता है। यहाँ से लोग सामुहिक एवं व्यक्तिगत तौर पर ऋण ले सकता है। इसका भी ग्रामीण विकास एवं लोगों के जीवनयापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा ऋण और मनरेगा का सामुहिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देना, श्रमिकों के पलायन को रोकना, बाजार माँग में वृद्धि करना, लोगों को स्वावलंम्बी बनाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, इत्यादि मुख्य उद्देश्य है।

मुख्य शब्द

मनरेगा योजना, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण विकास.

प्रस्तावाना

भारत एक ऐसा देश है जहाँ की लगभग 73 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत के विकास की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब गाँवों का विकास होगा अन्यथा भारत के विकास का सपना अधूरा रह जाएगा क्योंकि भारत की वास्तविक उन्नती एवं प्रगति का रास्ता गाँवों से होकर गुजरती है। आजादी के बाद भी ग्रामीण विकास शहरी विकास की तुलना में नगन्य रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तौर पर बुनियादी सुविधाओं से लेकर आधारभूत संरचनाओं की कमी वर्तमान समय में भी महसूस की जा सकती है। गाँव में सड़क, बिजली, स्वच्छ पानी, आवास हेतु मकान के साथ–साथ बेरोजगारी, गरीबी एवं भूखमरी जैसी समस्या विद्यमान है। गाँव के श्रमिकों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है, जिसमें लोगों को सीमित समय तक काम मिलता है, बाकी समय उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है या किसी दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। बढ़ती जनसंख्या भी एक बड़ी समस्या है भारत सरकार के सामने जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रही है। सरकार के सामने समस्या है कि कैसे ग्रामीण विकास के साथ–साथ ग्रामीण व्यस्क श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसके बिना ग्रामीण विकास की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इसे वास्तविक रूप नहीं दे सकते। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वित्तीय रूप से सबल न होने के कारण अपना छोटा–मोटा व्यापार, उद्योग धंधे, गुणवत्तापूर्ण कृषि एवं अन्य कार्य करने में असमर्थ हैं।

उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं वहाँ के लोगों को वित्तीय व आर्थिक रूप से सहायता पहुँचाने हेतु विभिन्न योजनाओं की स्थापना की गई। इनमें से मनरेगा की भूमिका महत्वपूर्ण है। मनरेगा द्वारा ग्रामीण विकास एवं लोगों के जीवनयापन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार वर्त्तमान समय में ग्रामीण विकास एवं लोगों के रहन–सहन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसके साथ ही ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान करके मनरेगा योजना ग्रामीण विकास में अतुलनीय योगदान दे रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस लेख का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में "मनरेगा योजना का ग्रामीण विकास पर प्रभाव" का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है।

मनरेगा अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन 2 फरवरी, 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बंदापाली गाँव से शुभारंभ किया गया। प्रथम चरण 2006 को देश के 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में लागू किया गया। द्वितीय चरण 2007–08 में 130 जिलों को और इसमें शामिल कर लिया गया, बाकी बचे देश के समस्त ग्रामीण जिलों को 1 अप्रैल 2008 में सम्मिलित कर दिया। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाना व उन्हें सशक्त करना, ग्रामीण टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण करना, सतत् विकास को बढ़ावा देना, श्रमिकों की आय में वृद्धि के साथ ग्रामीण बाजार–माँग में वृद्धि करना, कृषि उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना, गाँव से शहरों की ओर पलायन को रोकना, ग्रामीण श्रमिकों को स्वाबलंबी बनाना, ग्रामीण श्रमिकों के बीच वित्तीय अन्तर्वेशन को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादीगत संरचना को सबल बनाना एवं श्रमिकों के जीवनयापन–सुरक्षा में वृद्धि करना, इत्यादि। वर्त्तमान समय में मनरेगा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ–साथ ग्रामीण विकास पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। मनरेगा आने से गाँव की महिलाएँ कार्य की प्रति रूचि दिखाई है, जो महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। मनरेगा में निर्धारित कुल श्रमिकों का 1/3 हिस्सेदारी महिला श्रमिकों का होना अनिवार्य है लेकिन विभिन्न शोध एवं समाचार पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी अनुमान से ज्यादा रही है।

मनरेगा कार्यक्रम की विशेषताएँ

1. प्रत्येक वित्त वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना।
2. तय न्यूनतम मजदूरी दर पर पारिश्रमिक देना।
3. काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देना, इसका वहन पूर्णतः राज्य सरकार करेगी।
4. मनरेगा में श्रम एवं सामग्री हिस्सेदारी का अनुपात 60/40 है।
5. मनरेगा में ठेकेदारों की भागीदारी पर पूर्णतः प्रतिबंध है।
6. श्रमिकों को काम गाँव से 5 किमी. की दायरे में देना है। इस सीमा से बाहर काम मिलने की स्थिति में मजदूरों को पारिश्रमिक का 10 प्रतिशत हिस्सा एवं परिवहन भत्ता देना अनिवार्य है।
7. कार्यस्थल पर आवश्यक मूलभूत सुविधाये देने का प्रावधान है जैसे–पीने का पानी, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, दोपहर में विश्राम हेतु शेड की व्यवस्था, महिलाओं एवं बच्चों हेतु अलग शेड की व्यवस्था, मेड़ की व्यवस्था इत्यादि।
8. कार्यस्थल पर किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों को अलग से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान।
9. पंजीकृत श्रमिकों हेतु "काम के अधिकार" जैसी कानून की व्यवस्था मनरेगा योजना में की गई।
10. यह एक विकेन्द्रीकृत योजना है।
11. मनरेगा में मैनुअल काम करवाना।
12. इसका संचालन पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि एवं मनरेगा से संबंधित पदाधिकारी की निगरानी में की जाती है।

मनरेगा केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो गरीब ग्रामीण कुशल लोगों को रोजगार देने का कार्य करती है तथा सतत् विकास को बढ़ावा देता है। इसमें वंचितों, शोषित वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और महिलाओं ने बढ़–चढ़कर भाग लिया है साथ ही महिलाओं की भागीदारी अनुमान से ज्यादा रही है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सामाजिक–आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुआ है।

मनरेगा द्वारा ग्रामीण विकास एवं वहाँ के लोगों को समुचित गारंटीयूक्त रोजगार उपलब्ध कराके प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि के साथ पलायन को कम करना व श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, इत्यादि उद्देश्य है, इसके तहत् ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ आर्थिक सुरक्षा विशेषकर समाज के वंचित व कमजोर वर्गो को इससे फायदा हुआ है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होते है।

मनरेगा का ग्रामीण विकास में महत्व

ग्रामीण विकास एवं वहाँ के वंचित वर्ग, कृषि उत्पादकता में मनरेगा का अतुलनीय योगदान रहा है। जैसे–पलायन को कम करना, स्वरोजगार हेतु सहायता देना, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करना, ग्रामीणों को स्वावलंबी बनना, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनना, वित्तीय अर्न्तवेशन को बढ़ावा देना, सतत् एवं समावेशी विकास पर जोर देना कृषि उत्पादकता मे वृद्धि करना, साहुकारो–महाजनों पर निर्भरता को समाप्त करना इत्यादि। मनरेगा द्वारा प्राप्त आय से ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा स्वालम्बी एवं सशक्त हुए है अर्थात् मनरेगा का ग्रामीण विकास में अहम भूमिका है।

मनरेगा द्वारा ग्रामीण विकास कार्य

मनरेगा से संबंधित कार्य निम्नलिखत हैं:

- कच्ची सड़कों का निर्माण,
- वृक्षारोपण कार्य,
- सिंचाई हेतु नहर, तालाब का निर्माण,
- भूमि विकास कार्य,

- पंचायत में सरकारी भवन निर्माण कार्य जैसे–पंचायत भवन, सरकारी स्कूल,
- स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से लोगों को कार्य देना,
- कृषि से संबंधित कार्य, इत्यादि।

मनरेगा के द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित कई प्रकार का कार्य सम्पन्न करवायी जाती है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने के साथ–साथ वैसे कार्य को करायी जाय, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास हो सके।

बिहार में मनरेगान्तर्गत कार्य की सूची, वित्तीय वर्ष 2023–24

कार्य सूची	पूर्ण कार्य सूची	कार्य प्रगति सूची	स्वीकृत कार्य
जल संरक्षण	29,899	41,217	71,436
वाटरशेड प्रबंधन	5,323	7,150	10,374
सिंचाई	32,394	44,661	22,895
परम्परागत जल निकाय	3,559	5,309	4,431
वनीकरण	18,869	1,83,283	97,893
भूमि विकास	7,343	11,511	12,228
भूमि उत्पादकता में सुधार	30,380	47,561	31,547
आजीविका में सुधार	5,893	67,681	34,153
बंजर भूमि का विकास	3,622	5,486	2,976
घर का निर्माण	3,72,039	1,73,713	65,012
पशुधन हेतु कार्य	48,928	1,15,439	1,49,719
कृषि उत्पादकता	34	315	409
मत्स्यपालन हेतु कार्य	1,669	2,800	2,689
आजीविका हेतु सामान्य कार्यशेड	68	255	831
ग्रामीण स्वच्छता	9,602	10,044	47,522
सड़क निर्माण कार्य	41,628	90,628	47,568
खेल का मैदान	1,053	4,033	7,248
आपदा प्रबंधन हेतु कार्य	16,016	31,014	14,727
घर का निर्माण कार्य	1,598	6,648	9,888
खाद्यान्न भंडार अवसंरचना	283	343	449
निर्माण सामग्री –उत्पादन कार्य	43	205	317
रख–रखाव संबंधी कार्य	132	199	583
अन्य कार्य	176	1,023	1715

(स्त्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय की ऑफिसियल साइट)

निष्कर्ष

मनरेगा ग्रामीण विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यह निर्धन, बेरोजगार एवं जरूरतमंदों को रोजगार के साथ–साथ बुनियादी अवसंरचना का भी निर्माण करती हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लगभग सभी लोगों को इसका लाभ मिला है। मनरेगा में समाज के वंचित वर्गों–एस.सी, एस.एसटी, महिलाएँ इत्यादि ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके साथ ही कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि सामान्य से ज्यादा रही है। अतः इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी की मनरेगा ग्रामीण विकास के लिए विकास इंजन का कार्य कर रही है।

सुझाव

वर्तमान समय में मनरेगा योजना का ग्रामीण विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है फिर भी सरकार को इसमें और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को बिना किसी समस्या का इसका पूर्णतः लाभ मिल सके। इससे संबंधित कर्मचारियों, पदाधिकारियों पर सरकार एवं जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि यह और अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके।

संदर्भ सूची

1. मनरेगा रिपोर्ट (2005) प्रकाशन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2006।
2. मिश्र एवं पूरी (2019) भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रकाशन–हिमालया हाउस, पृ. 145–149।
3. https://www.thehindu.com, Accessed on 03/06/2024.
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार सरकार।
6. Bihar economy survey, 2019-20.
7. Indian Economy Survey 2021-21.
8. https://www.nreganarep.nic.in, Accessed on 04/06/2024.

––==00==––